



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03062026-273110
CG-DL-E-03062026-273110

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2717]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 2, 2026/ज्येष्ठ 12, 1948

No. 2717]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 2, 2026/JYAISTHA 12, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जून, 2026

का.आ. 2811(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि बिहार राज्य के मधुबनी जिले में NH527A के कि.मी. 35 से कि.मी.61.04 (विदेश्वर स्थान से भेजा) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक

पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

बिहार राज्य के मधुबनी जिले में NH527A के कि.मी. 35 से कि.मी.61.04 (बिदेश्वर स्थान से भेजा) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: बिहार			जिले का नाम: मधुबनी		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: झंझारपुर					
गांव का नाम: लोहना					
1	4209	निजी	एग्रीकल्चर	0.0085582 (हेक्टेयर)	0.0085582
2	4557	निजी	एग्रीकल्चर	0.0097 (हेक्टेयर)	0.0097
3	4558	निजी	एग्रीकल्चर	0.061 (हेक्टेयर)	0.061
4	4559	निजी	एग्रीकल्चर	0.077 (हेक्टेयर)	0.077
5	4560	निजी	एग्रीकल्चर	0.0109984 (हेक्टेयर)	0.0109984
6	6889	निजी	एग्रीकल्चर	0.0073117 (हेक्टेयर)	0.0073117
7	6890	निजी	एग्रीकल्चर	0.0083857 (हेक्टेयर)	0.0083857
8	6913	निजी	एग्रीकल्चर	0.0144167 (हेक्टेयर)	0.0144167
9	6916	निजी	एग्रीकल्चर	0.0486714 (हेक्टेयर)	0.0486714
10	6917	निजी	एग्रीकल्चर	0.0141733 (हेक्टेयर)	0.0141733
11	6918	निजी	एग्रीकल्चर	0.0141733 (हेक्टेयर)	0.0141733
गांव का नाम: दुबौली खैरा					
12	1133	निजी	एग्रीकल्चर	0.012135 (हेक्टेयर)	0.012135
13	1166	निजी	एग्रीकल्चर	0.0424 (हेक्टेयर)	0.0424
14	1167	निजी	एग्रीकल्चर	0.0219 (हेक्टेयर)	0.0219
15	1194	निजी	एग्रीकल्चर	0.0046 (हेक्टेयर)	0.0046
16	1196	निजी	एग्रीकल्चर	0.0175 (हेक्टेयर)	0.0175
17	1198	निजी	एग्रीकल्चर	0.008668 (हेक्टेयर)	0.008668
18	1220	निजी	एग्रीकल्चर	0.100386 (हेक्टेयर)	0.100386
19	1221	निजी	एग्रीकल्चर	0.0906 (हेक्टेयर)	0.0906

20	1222	निजी	एग्रीकल्चर	0.0683 (हेक्टेयर)	0.0683
21	1223	निजी	एग्रीकल्चर	0.0683919 (हेक्टेयर)	0.0683919
22	167	निजी	एग्रीकल्चर	0.0202 (हेक्टेयर)	0.0202
23	169	निजी	एग्रीकल्चर	0.0182 (हेक्टेयर)	0.0182
24	170	निजी	एग्रीकल्चर	0.04 (हेक्टेयर)	0.04
25	172	निजी	एग्रीकल्चर	0.0113 (हेक्टेयर)	0.0113
26	173	निजी	एग्रीकल्चर	0.02 (हेक्टेयर)	0.02
27	174	निजी	एग्रीकल्चर	0.0475 (हेक्टेयर)	0.0475
28	177	निजी	एग्रीकल्चर	0.006474 (हेक्टेयर)	0.006474
29	178	निजी	एग्रीकल्चर	0.007082 (हेक्टेयर)	0.007082
30	179	निजी	एग्रीकल्चर	0.024 (हेक्टेयर)	0.024
31	180	सरकारी	एग्रीकल्चर	0.0202 (हेक्टेयर)	0.0202
32	182	निजी	एग्रीकल्चर	0.0066 (हेक्टेयर)	0.0066
33	183	निजी	एग्रीकल्चर	0.0154 (हेक्टेयर)	0.0154
34	1885	निजी	एग्रीकल्चर	0.0124091 (हेक्टेयर)	0.0124091
35	1937	निजी	एग्रीकल्चर	0.06194 (हेक्टेयर)	0.06194
36	2088	निजी	एग्रीकल्चर	0.0128876 (हेक्टेयर)	0.0128876
37	81	निजी	एग्रीकल्चर	0.0091727 (हेक्टेयर)	0.0091727
38	82	निजी	एग्रीकल्चर	0.0105 (हेक्टेयर)	0.0105
39	83	निजी	एग्रीकल्चर	0.0222577 (हेक्टेयर)	0.0222577
40	93	निजी	एग्रीकल्चर	0.025495 (हेक्टेयर)	0.025495
41	94	निजी	एग्रीकल्चर	0.0151 (हेक्टेयर)	0.0151
42	95	निजी	एग्रीकल्चर	0.0278 (हेक्टेयर)	0.0278
43	97	निजी	एग्रीकल्चर	0.02837 (हेक्टेयर)	0.02837
44	99	निजी	एग्रीकल्चर	0.0789 (हेक्टेयर)	0.0789
Total					1.2510577

[फा. सं. 142/13/2015-TPL/3A1]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 2nd June, 2026

S.O. 2811(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH527A in the

stretch of land from Km. 35 to Km. 61.04 (Bideshwar Asthan To Bheja) in the district of MADHUBANI in the state of BIHAR, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, District Land Acquisition Officer Madhubani in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH527A in the stretch of land from Km. 35 to Km. 61.04 (Bideshwar Asthan To Bheja) in the district of MADHUBANI in the state of BIHAR

State: BIHAR			District: MADHUBANI		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Jhanjharpur					
Village: Lohna					
1	4209	Private	Agriculture	0.0085582 (Hectare)	0.0085582
2	4557	Private	Agriculture	0.0097 (Hectare)	0.0097
3	4558	Private	Agriculture	0.061 (Hectare)	0.061
4	4559	Private	Agriculture	0.077 (Hectare)	0.077
5	4560	Private	Agriculture	0.0109984 (Hectare)	0.0109984
6	6889	Private	Agriculture	0.0073117 (Hectare)	0.0073117
7	6890	Private	Agriculture	0.0083857 (Hectare)	0.0083857
8	6913	Private	Agriculture	0.0144167 (Hectare)	0.0144167
9	6916	Private	Agriculture	0.0486714 (Hectare)	0.0486714
10	6917	Private	Agriculture	0.0141733 (Hectare)	0.0141733
11	6918	Private	Agriculture	0.0141733 (Hectare)	0.0141733
Village: Dubauli Khaira					
12	1133	Private	Agriculture	0.012135 (Hectare)	0.012135
13	1166	Private	Agriculture	0.0424 (Hectare)	0.0424
14	1167	Private	Agriculture	0.0219 (Hectare)	0.0219
15	1194	Private	Agriculture	0.0046 (Hectare)	0.0046
16	1196	Private	Agriculture	0.0175 (Hectare)	0.0175
17	1198	Private	Agriculture	0.008668 (Hectare)	0.008668
18	1220	Private	Agriculture	0.100386 (Hectare)	0.100386
19	1221	Private	Agriculture	0.0906 (Hectare)	0.0906
20	1222	Private	Agriculture	0.0683 (Hectare)	0.0683
21	1223	Private	Agriculture	0.0683919 (Hectare)	0.0683919
22	167	Private	Agriculture	0.0202 (Hectare)	0.0202
23	169	Private	Agriculture	0.0182 (Hectare)	0.0182

24	170	Private	Agriculture	0.04 (Hectare)	0.04
25	172	Private	Agriculture	0.0113 (Hectare)	0.0113
26	173	Private	Agriculture	0.02 (Hectare)	0.02
27	174	Private	Agriculture	0.0475 (Hectare)	0.0475
28	177	Private	Agriculture	0.006474 (Hectare)	0.006474
29	178	Private	Agriculture	0.007082 (Hectare)	0.007082
30	179	Private	Agriculture	0.024 (Hectare)	0.024
31	180	Government	Agriculture	0.0202 (Hectare)	0.0202
32	182	Private	Agriculture	0.0066 (Hectare)	0.0066
33	183	Private	Agriculture	0.0154 (Hectare)	0.0154
34	1885	Private	Agriculture	0.0124091 (Hectare)	0.0124091
35	1937	Private	Agriculture	0.06194 (Hectare)	0.06194
36	2088	Private	Agriculture	0.0128876 (Hectare)	0.0128876
37	81	Private	Agriculture	0.0091727 (Hectare)	0.0091727
38	82	Private	Agriculture	0.0105 (Hectare)	0.0105
39	83	Private	Agriculture	0.0222577 (Hectare)	0.0222577
40	93	Private	Agriculture	0.025495 (Hectare)	0.025495
41	94	Private	Agriculture	0.0151 (Hectare)	0.0151
42	95	Private	Agriculture	0.0278 (Hectare)	0.0278
43	97	Private	Agriculture	0.02837 (Hectare)	0.02837
44	99	Private	Agriculture	0.0789 (Hectare)	0.0789
Total					1.2510577

[F. No. 142/13/2015-TPL/3A1]

SHAIKH AMINKHAN, Director